इसमें मीड़िया, शिक्षाविद्, व्यवसायिक, कलाकारों, वकीलों, युवाओं, अध्यापकों आदि आप सभी का स्वागत है। जब आप सब इस अभियान में शामिल होंगे तभी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम प्रभावी रूप से लागू हो पायेगा।

आप इस अभियान को समर्थन/मदद दे सकते हैं -

यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो -

- अभियान की गतिविधियों में शामिल होकर व अन्य लोगों को इस कानून की जानकारी देकर
- हो रही घरेलू हिंसा घटनाओं की जानकारी संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता संस्थाओं तक पहुंचा कर
- कार्यक्रमों के आयोजन में मदद कर

एक जिम्मेदारी नागरिक होने के नाते -

- अभियान की गतिविधियों में शामिल होकर
- अपने क्षेत्र में हो रही घरेलू हिंसा की घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज कराकर
- राज्य की जवाबदेही मांगने के लिए अन्य लोगों को प्रेरित कर
- अन्य लोगों को इस कानून की सही जानकारी देकर
- स्थानीय स्तर पर कार्यक्रमों के आयोजन के द्वारा

महिला अधिकार, मानव अधिकार है आत्म-गौरव व सम्मान के साथ सुरक्षित घर में जीने का माहौल बनाने में

आईये! हमारे साथ जुड़िए, अब और चुप ना रहिये

अभियान के साथी

मैसवा उ0प्र0, भारतीय महिला फेडरेशन उ0प्र0, परिवर्तन में युवा उ0प्र0, महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच उ0प्र0, हेल्थवॉच फोरम उ0प्र0, हमसफर, साझी दुनिया, आक्सफेम इण्डिया व अन्य।

अभियान सचिवालय : ए-240, इन्दिरा नगर, लखनऊ-16

फोन - 0522-2310860, 2310747, फैक्स - 2341319

हर महिला का अधिकार हिंसा मुक्त घर परिवार

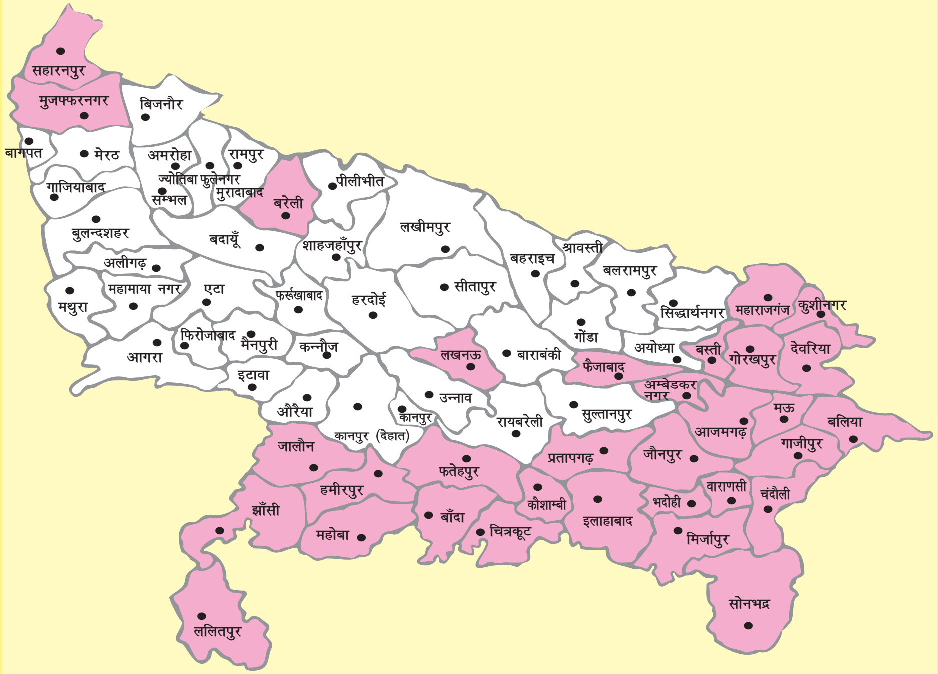

अब तो जागो!

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन हेतु

अभियान सचिवालय : ए - 240, इन्दिरा नगर, लखनऊ-16

फोन - 0522-2310860, फैक्स - 2341319

अब तो जागो! अभियान

घरेलू हिंसा : एक सच्चाई

हमारे देश में अनेक क्षेत्रों में प्रगति के बावजूद आज भी महिलाओं के प्रति हिंसा विशेषकर घरेलू हिंसा में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। समाज में आज भी समानता के संवैधानिक अधिकार के बावजूद महिलाओं को बराबरी के हक व सम्मान के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। वे अभी भी सबसे सुरक्षित माने जाने वाले स्थान अर्थात घर में अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि उनका तो अपना कोई घर ही नही माना जाता। इसी वजह से इज्जत, मर्यादा, संस्कृति, परम्पराओं आदि के नाम पर उन्हें घरों के अन्दर अनेक हिंसात्मक व्यवहारों को सहना तथा चाहे-अनचाहे तरीके से समझौते करने पड़ते हैं।

2005-06 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-3 के अनुसार 40 प्रतिशत महिलाएं परिवार में शारीरिक हिंसा का शिकार हो रही हैं। एक अन्य आंकडे के अनुसार उ0प्र0 में लगभग 45 फीसदी महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं। केन्द्रिय मंत्री रेणुका चौधरी द्वारा संसद में दिये गये वक्तत्य के अनुसार भारत में 2005 में 1497, 2006 में 1736 तथा 2007 में 2921 घरेलू हिंसा के केस दर्ज किये गये हैं। जबकि लायर्स कलेक्टिव द्वारा जारी पहली मूल्यांकन एवं अनुश्रवण रिपोर्ट 2007 के अनुसार घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत 7,913 केस दर्ज किये गये हैं। ये वे आंकड़े हैं जो किसी तरह से उजागर हो जाते हैं जबकि सच्चाई यह है कि 90 प्रतिशत से भी ज्यादा घटनाएं अनेक कारणों से उजागर ही नहीं हो पाती हैं। यह घटनाएं यह दर्शाती हैं कि सुरक्षा की बातें चाहे हम जितना भी कर ले आज महिला घर के अन्दर असुरक्षित हैं।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 :

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून हमारे देश का पहला ऐसा कानून है जो महिलाओं को घर में रहने का समान अधिकार देता है। इस कानून के तहत महिलाएं अपने प्रति घर में होने वाली हिंसा के विरोध में सरकार द्वारा जिला स्तर पर नियुक्त संरक्षण अधिकारी के पास मामला दर्ज करा सकती हैं। संरक्षण अधिकारी महिला को शीध्र न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भागीदारी निभा सकते हैं। वह पीड़ित महिला एवं न्यायधीश के बीच की ऐसी कड़ी है, जो न्याय तक महिला की पहुंच आसान बना सकते हैं। इस कानून की मंशा में शीध्र सुनवाई, शीध्र राहत और शीध्र न्याय की व्यवस्था है, जिसके तहत यह भी सोचा गया है कि महिला को वकीलों की भारी फीस से तो मुक्ति मिलेगी ही, न्याय की लंबी प्रक्रिया से भी निजात मिलेगी। राहत के रूप में महिला को घर या कार्य-स्थल पर सुरक्षा आदेश, घर में रहने का आदेश, अपने तथा बच्चों के लिए आर्थिक राहत, अभिरक्षा आदेश, मुआवजा आदेश मिलने की व्यवस्था की गई है।

अब तो जागो! अभियान क्यो?

2006 में जब घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम को पूरे देश में लागू किया गया था, तब महिलाओं को एक उम्मीद जगी थी कि अब घर के अन्दर होने वाली हिंसा में कमी आयेगी लेकिन सरकार द्वारा इस कानून के व्यापक प्रचार-प्रसार तथा क्रियान्वयन हेतु कोई ठोस कदम नही उठाये गये। इसी प्रकार से उ0प्र0 में अभी तक 91 संस्थाओं का सेवा प्रदाता के रूप में चयन किया गया है जिसमें से 34 सरकार द्वारा सहायतित अल्प आवासीय गृह हैं, जो कि घरेलू हिंसा के निकलकर आ रहे केसो की दृष्टि से पर्याप्त नही हैं। साथ ही इस कानून के सकारात्क पहलुओं की बजाय इसके विरोध में ज्यादा बातें की जाने लगी। इस कानून को पुरूषों के खिलाफ स्थापित करने के प्रयास किये जाते रहे हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए उ0प्र0 में विभिन्न महिला व मानवाधिकार संगठनों व लोगों की मदद से गत वर्ष की भांति इस साल भी उ0प्र0 के 30 जिलों में अब तो जागों! अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान का उददेश्य -

- घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 का व्यापक प्रचार-प्रसार व इस कानून को लेकर उठे भ्रामक तथ्यों को दूर करना।
- कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार व जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना।

अभियान के जिले :

यह अभियान उ0प्र0 के 30 जिलो में चलाया जायेगा। ये जिले हैं- आजमगढ़, अम्बेड़कर नगर, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, चन्दौली, मिर्जापुर, बलिया, मऊ, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, बस्ती, महराजगंज, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन, झॉसी, ललितपुर, लखनऊ, संतकबीर नगर, बरेली, फैजाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर।

अभियान की गतिविधियॉ : अभियान अर्न्तगत निम्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा-

- प्रेस वार्ता
- जिला स्तरीय संवाद
- कैन्डिल मार्च
- रैली
- स्कूल व कालेज स्तर पर परिचर्चा
- सामुदायिक बैठकें
- रोड़ शो
- नुक्कड सभाएं
- आंकड़ो का संकलन एवं केस दस्तावेजीकरण

अभियान में भागीदारी :

अब तो जागो! अभियान एक संयुक्त मंच द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न महिला संगठन, मानवाधिकार समूह व कई नेटवर्क शामिल हैं। आप सामाजिक कार्यकर्ताओं के विभिन्न प्रकार के समर्थन से अभियान को ताकत मिलेगी।